भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2281
जिसका उत्तर शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता

2281. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 20 वर्षों के दौरान तीन तलाक के मामलों की संख्या से संबंधित प्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त मामलों में वृद्धि अथवा कमी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किसी परिवर्तन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं को सहायता सेवाएं और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों ने इन सेवाओं का उपयोग किया है ; और

(ङ) उनकी सुलभता और प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भारत में अपराध पर आंकड़े एकत्र और प्रकाशित करता है । एनसीआरबी ने तारीख 01.12.2023 को वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध रिपोर्ट प्रकाशित की है जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है । एनसीआरबी द्वारा तीन तलाक मामलों के संबंध में कोई पृथक डा़टा प्रकाशित नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन, सभी महिलाएं जिसके अंतर्गत तीन तलाक की पीड़ित महिलाएं भी है, निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने की हकदार है । तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं के लिए विधिक सहायता के संबंध में कोई पृथक डाटा नहीं रखा जाता है । तथापि, पिछले पांच वित्तीय वर्ष अर्थात् 2019-20 से 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक) के दौरान विधिक सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित हुई महिलाओं के ब्यौरे निम्नानुसार है :

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक)
2,69,787	95,654	5,41,208	2,45,587	1,57,725

इसके अतिरिक्त, महिला और बाल विकास मंत्रालय 'मिशन शक्ति' की व्यापक योजना का कार्यान्वयन करता है जिसके अधीन वन स्टाप सेंटर (ओएससी) का एक घटक है । ओएससी व्यथित और जरूरतमंद महिलाओं जिनके अंतर्गत तीन तलाक की पीड़ित महिलाएं भी हैं, को अस्थायी आवास, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श और पुलिस सुविधा जैसी एकीकृत सेवा प्रदान करता है । आज तारीख तक, देश में 753 ओएससी कार्यशील हैं ।

(ङ.) : विधिक सेवा प्राधिकरण ने निःशुल्क विधिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) नाल्सा ने विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन फाईल करने हेतु एक वेब पोर्टल बनाया है जिसमें आवेदन दस विभिन्न भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगू, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, उड़िया और कन्नड़ में फाईल किया जा सकता है ।

(ii) नाल्सा नें एंड्रोरायड और आईओएस वर्जन के लिए विधिक सेवा मोबाइल एप लांच किया है जो विधिक सहायता, विधिक सलाह, आवेदन का पता लगाने, पीड़ित प्रतिकर के लिए आवेदन करने आदि की सुविधा प्रदान करता है ।

(iii) विधिक सेवा प्राधिकरण आईवीआरएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से नाल्सा के राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के द्वारा विधिक सलाह भी प्रदान कर रहे हैं ।

****